न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील/226/रा.का.अधि./28/2021/बाड़मेर

अपीलांट

1. गणेशाराम पुत्र चिमनाराम जाति कलबी चौधरी निवासी टीकमपुरा तहसील समदड़ी
2. स्वर्गीय गवरी पत्नी तुलछाराम का.प्र.
   2/1चौथी पुत्री तुलछाराम पत्नी दुर्गाराम जाति कलबी चौधरी निवासी बामसीन तहसील समदड़ी
   2/2पुतली पुत्री तुलछाराम पत्नी चौपाराम जाति कलबी चौधरी निवासी जेठन्तरी तहसील समदड़ी
   2/3अरकी पुत्री तुलछाराम पत्नी चौथाराम जाति कलबी चौधरी निवासी जेठन्तरी तहसील समदड़ी
3. जोगाराम पुत्र तुलछाराम जाति कलबी चौधरी निवासी टीकमपुरा तहसील समदड़ी
4. देवाराम पुत्र चिमनाराम जाति कलबी चौधरी निवासी टीकमपुरा तहसील समदड़ी
5. धनाराम पुत्र तुलछाराम जाति कलबी चौधरी निवासी टीकमपुरा तहसील समदड़ी

बनाम

रेस्पोंडेन्टगण

1.चम्पादेवी पत्नी डायाराम
2.रतनसिंह पुत्र डायाराम
3.दुर्गसिंह पुत्र डायाराम
4.कुशलसिंह पुत्र डायाराम
5.मोहनसिंह पुत्र डायाराम जाति पुरोहित निवासी भांवता तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर
6.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदड़ी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 10/2021 बअनवान चम्पादेवी वगै. बनाम गणेशाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 05.04.2021 के विरुद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री कपिल श्रीमाली अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री पुरुषोत्तम सोनी रेस्पोंडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 06.04.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंटगण द्वारा अपने खातेदारी खेत खसरा नंबर 236 रकबा 5.0966 हैक्टयर सरहद मौजा कुंपावास की भूमि में आवागमन किये जाने हेतु अपीलांटगण के खातेदारी खेत खसरा नंबर 240 में से पूर्वी माठ के किनारे किनारे गलत तरीके से रास्ते हेतु प्रार्थना–पत्र पेश करना बताया गया व साथ ही कथन किया कि रेस्पोंडेंटगण के आवागमन के लिये सर्व उपलब्ध मार्ग अपीलांटगण के खातेदारी के खेत खसरा नंबर 241 की भूमि में से रास्ता दिया जाना उचित होगा तथा अपीलांटगण द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र के जरिये यह भी कथन किया कि यदि अपीलांटगण के खातेदारी खेत में से रास्ते के लिये भूमि

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

दिया जाना अत्यन्त ही आवश्यक हो तो उपरोक्त भूमि अपीलांटगण के खातेदारी खेत की भूमि बदिशा पश्चिम की माठ के किनारे किनारे उपलब्ध करवायी जावे एवं जो भूमि रास्ते के रूप मे दी जावे, उपरोक्त भूमि के मुआवजा के तौर पर राशि न दी जाकर भूमि के बदले भूमि रेस्पोडेंटगण के खातेदारी खेत की भूमि में से दक्षिणी माठ के किनारे किनारे अपीलांटगण के हक हिस्से से लगती भूमि उन्हे दी जावे। अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है वह मौका पर जाकर नहीं बनाई गई है एवं तहसीलदार रामदडी ने अपीलांट को बिना सूचित किये एवं बिना मौके पर जाये कार्यालय में बैठे–बैठे उतरदाता के प्रभाव में आकर बनाई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है वह मौका पर जाकर नहीं बनाई गई है एवं तहसीलदार समदडी ने अपीलांट को बिना सूचित किये एवं बिना मौके पर जाये कार्यालय में बैठे–बैठे उतरदाता के प्रभाव में आकर बनाई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांटगण द्वारा जबाव प्रार्थना–पत्र के जरिये यह भी कथन किया कि यदि अपीलांटगण के खातेदारी खेत में से रास्ते के लिये भूमि दिया जाना अत्यन्त ही आवश्यक हो तो उपरोक्त भूमि अपीलांटगण के खातेदारी खेत की भूमि बदिशा पश्चिम की माठ के किनारे किनारे उपलब्ध करवायी जावे एवं जो भूमि रास्ते के रूप मे दी जावे, उपरोक्त भूमि के मुआवजा के तौर पर राशि न दी जाकर भूमि के बदले भूमि रेस्पोडेंटगण के खातेदारी खेत की भूमि में से दक्षिणी माठ के किनारे किनारे अपीलांटगण के हक हिस्से से लगती भूमि उन्हे दी जावे। अतः अपीलांट की

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया:-

RRT 2019(2) Page 1210

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने-जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया:-

RRT 2019(1) Page 285

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया है जिससे अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया प्रतीत होता है। मौका फर्द दिनांक 12.02.2021 में स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थीगण चम्पादेवी वगैराह के खेत खसरा संख्या 236 में आवागमन हेतु कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं है खसरा संख्या 240 के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ते पर किसी भी प्रकार पक्का निर्माण नहीं है। तथा वर्तमान में खसरा संख्या 240 की भूमि मौके पर खाली पड़ी है। अपीलांट द्वारा ऐतराज पर ऐतराज पेश किया जा रहा है जिससे अपीलांट की रास्ता नहीं देने की नीयत साफ झलकती है। वह प्रस्तावित रास्ते में अवरोध पैदा करने की कार्यवाही में लिप्त है। अपीलांट की गैर कानूनी मांग स्वीकार्य नहीं हैं। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थी को उसको मिले रास्ते के विधिक

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

अधिकार से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 10/2021 बअनवान चम्पादेवी वगै. बनाम गुणेशाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 05.04.2021 को यथावत रखा जाता है।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 06.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर